भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2297
जिसका उत्तर गुरुवार, 12 मार्च, 2026 को दिया जाना है

दीर्घावधि स्थगन आदेशों का राजकोषीय और प्रशासनिक प्रभाव

2297 डा. अजीत माधवराव गोपछड़े :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा जारी किए गए दीर्घावधि और अनिश्चितकालीन स्थगन आदेशों, जो सरकारी वसूली को रोकते हैं, अवसंरचना और विकास परियोजनाओं में विलंब करते हैं, बड़ी मात्रा में सार्वजनिक राजस्व को अवरुद्ध करते हैं और प्रभावी सुशासन और न्याय प्रदायगी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, के राजकोषीय और प्रशासनिक प्रभाव का आकलन किया है ;

(ख) क्या सरकार का स्थगन आदेशों के लिए एक निश्चित वैधता अवधि निर्धारित करने वाले नियम बनाने या विधायन लाने का विचार है, जिसमें अनिवार्य आवधिक न्यायिक पुनरीक्षा और तर्कसंगत विस्तार का प्रावधान हो ; और

(ग) क्या अंतरिम राहत के दुरुपयोग को रोकने, सार्वजनिक वित्त की सुरक्षा करने और विधिक उपचार के अधिकार को संरक्षित करते हुए समय पर न्यायनिर्णयन सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कोई रूपरेखा विचाराधीन है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : विभाग ने न्यायालयों और अधिकरणों द्वारा दिए जाने वाले लंबे समय तक और अनिश्चित अवधि के स्थगन आदेशों के राजकोषीय और प्रशासनिक प्रभाव का कोई विशेष आकलन नहीं किया है। ऐसे स्थगन आदेशों के कारण सरकारी वसूली रुक जाती है, बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में देरी होती है, सारभूत लोक राजस्व अवरुद्ध हो जाता है तथा

प्रभावी शासन और न्याय वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तथापि, सरकार मामलों के शीघ्र निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने हेतु कई पहलें की गई हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अधीन न्याय तक पहुंच बढ़ाने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकियों का समावेश तथा जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के संसाधनों को न्यायपालिका के लिए अवसंरचना विकास की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन सुदृढ़ करना सम्मिलित है। ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत डिजिटल न्याय प्रणाली ने न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज और सरल बनाया है तथा न्याय वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और पहुंच में भी सुधार किया है।

इसके अतिरिक्त, विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने *"भारत सरकार द्वारा वादों के कुशल और प्रभावी प्रबंधन के लिए निदेश"* तैयार किया है, जो सुशासन के लक्ष्य को सुदृढ़ करने और जनकल्याण तथा समयबद्ध न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक समेकित दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस निदेश का उद्देश्य विधिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अनावश्यक मुकदमों को रोकने, अधिसूचनाओं और आदेशों में असंगतियों को दूर करने, अनावश्यक अपीलों को कम करने, मुकदमों में विभागों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करने, मध्यस्थता मामलों में अधिक लोक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने तथा समग्र दक्षता बढ़ाने के लिए एक सशक्त ज्ञान प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है। इसके साथ ही, विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम नामक एक वेब-आधारित पोर्टल भी विकसित किया है, जिसे भारत संघ से संबंधित न्यायालयी मामलों की प्रभावी निगरानी के लिए बनाया गया है। इन उपायों का उद्देश्य सभी लंबित न्यायालयी मामलों के निपटान की दिशा में सक्रिय रूप से कदम उठाना है।

****